प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ : दिनांक 195 जून, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम प्रसादपुत्र श्री पूरन निवासी जनपद-सीतापुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7999/प्रोबे0अनु0(2)-2/सला0समिति/ (एम 26-02-2020) दिनांक 19-03-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम प्रसाद पुत्र श्री पूरन, मोहद्दीनपुर, थाना-सिधौली वर्तमान पता-गढीहार, थाना-कमलापुर, जनपद-सीतापुर का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 02.01.1985 को बन्दी द्वारा अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, राइफल, तमन्चों से गोली मारकर 21 लोगों की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-79/1985 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 436/149, 440/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(कोर्ट सं0-4), सीतापुर के आदेश दिनांक 25.08.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.2002 तथा मा0 उचचतम न्यायलय के आदेश दिनांक 06.08.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.11.2019 तक 22 वर्ष 04 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष 05 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पत्र दिनांक 20.01.17 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त राम प्रसाद पुत्र पूरन को दिये गये आजीवन कारावास के दण्ड में किसी भी प्रकार की रद्दो बदल किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा दिनांक 02.01.1985 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, राइफल, तमन्चों से 21 लोगों की गोली मारकर हत्या किये जाने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई के उपरान्त पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी की कारागार से रिहाई के उपरान्त तनाव की सम्भावना होने,बन्दी की समाजिक/आर्थिक दशा उसकी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, बन्दी शारीरिक रूप से अशक्त न होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम प्रसाद पुत्र श्री पूरन को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम प्रसाद (बन्दी संख्या-36444) पुत्र श्री पूरन निवासी जनपद-सीतापुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-195/2020/429(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in